न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : हिमांशु गुप्ता, आई0ए0एस0

रसद अपील सं. 41/2018

अपीलार्थी–	***बनाम***	**उत्तरदाता–**
हरीराम पुत्र उकाराम जाति मेघवाल निवासी शास्त्रीगर गडरारोड़, जिला बाड़मेर		राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 22(ए) राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आव यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 विरूद्ध निर्णय दिनांक 07.02.2018 जो विभागीय प्रकरण सं. 03/2018 मे जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री भवानीसिंह चौधरी, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. सरकारी पैरोकार, उत्तरदाता की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 30/07/2019

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 की धारा 22(ए) के अन्तर्गत जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रकरण सं. 03/2018 सरकार बनाम हरीराम मे पारित निर्णय दिनांक 07.02.2018 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अपीलांट हरीराम/उकाराम, उचित मूल्य दुकानदार शास्त्रीगांव, तहसील गडरारोड़ को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवंटित राशन सामग्री वितरण की शिकायत की जांच हेतु प्रवर्तन निरीक्षक शिव द्वारा दिनांक 27.12.2017 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान समय पर राशन सामग्री का वितरण नहीं करना, केरोसीन व चीनी उपभोक्ताओं को वितरण नहीं करना पाया गया, उपभोक्ताओं को जानबूझकर राशन सामग्री का वितरण नहीं करने जैसी गंभीर अनियमितताओं

न्यायालय जिला कलेक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

के लिए राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 6 एवं इसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 9, 11, 14 एवं 18 का उल्लंघन किये जाने पर अपीलांट का उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया। इसके पश्चात अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज कर नोटिस व सुनवाई उपरांत प्राधिकार पत्र निरस्त कर प्रतिभूति राशि रूपये 1000/– जब्त सरकार किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.02.2018 पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब कर अवलोकन किया।

4. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि अपीलांट के नाम ग्राम शास्त्री गांव हेतु जारी उचित मूल्य दुकान के प्राधिकार पत्र को निरस्त कर प्रतिभूति राशि को जब्त करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह विधि एवं तथ्यात्मक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेंट जिला रसद अधिकारी द्वारा एकपक्षीय जांच कर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र बिना कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त किये ही निरस्त कर दिया गया है जो एक गम्भीर त्रुटि है। अपीलार्थी द्वारा 13 वर्षो से नियमानुसार उचित मूल्य दुकानदार के बतौर उचित मूल्य की सामग्री का वितरण किया गया है जिसका स्टॉक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर इत्यादि पूर्ण है, वितरण का कार्य पोश मशीन द्वारा किया गया है। अपीलार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय जांच कर बिना अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही अपीलाधीन आदेश के द्वारा अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जो कानूनन गलत है। अपीलार्थी के विरूद्ध किसी भी उपभोक्ता द्वारा कभी शिकायत नही की गई। रेस्पोडेंट द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश मे उल्लेखित आरोप के संबंध मे

न्यायालय जिला कलेक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

बिना जांच किये एक पक्षीय विवेचन के आधार पर पारित किया गया है वह गलत है। अपीलार्थी के राशन सामग्री वितरण के संबंध मे शिकायत करने वाले 11 व्यक्ति गांव के बदमाश व्यक्ति है जिन्होने पूर्व मे अपीलार्थी से अतिरिक्त राशन सामग्री की मांग की थी जो मना कर देने पर अपीलार्थी से द्वेष रखते है, इसके अलावा शिकायतकर्ता जब भी राशन सामग्री लेने आते है तो अपना राशन कार्ड साथ मे नहीं लाते है एवं राशन सामग्री पोश मशीन से ही देने की बात कहते है। इस प्रकार वे विहित प्रक्रिया के विरूद्ध राशन सामग्री की मांग करते है तथा मना करने पर बाधा एवं विवाद उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा कोई शिकायत नही है तथा शिकायतकर्तागण के राशन कार्ड मे इन्द्राज उनके स्वंय के द्वारा राशन कार्ड साथ नहीं लाने के कारण शेष रहे हैं जबकि सामग्री का वितरण पोश मशीन के द्वारा किया जा चुका हैं। इन तथ्यों को अनदेखा करते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश एक पक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है जो निरस्त फरमाते हुए अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को पुनः बहाल करने का आदेश प्रदान करावें।

5. इसके जवाब मे रेस्पोडेंट के पैरोकार का यह तर्क है कि अपीलांट के प्राधिकार के अन्तर्गत उचित मूल्य दुकान से समय पर राशन सामग्री का वितरण नहीं करना, केरोसीन व चीनी उपभोक्ताओं को वितरण नहीं करना पाया गया, उपभोक्ताओं को जानबूझकर राशन सामग्री का वितरण नहीं करने जैसी गम्भीर अनियमितताओं के लिये राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सं. 11, 14 व 18 का उल्लंघन मानकर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है, जो सही एवं उचित है, लिहाजा अपीलांट की अपील खारिज की जाए।

6. हमने दोनो पक्षों के तर्कों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हरीराम/उकाराम, उचित मूल्य दुकानदार शास्त्रीगांव, तहसील गडरारोड़ को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत

न्यायालय जिला कलेक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

आवंटित राशन सामग्री वितरण की शिकायत की जांच हेतु प्रवर्तन निरीक्षक शिव द्वारा दिनांक 27.12.2017 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान समय पर राशन सामग्री का वितरण नहीं करना, केरोसीन व चीनी उपभोक्ताओं को वितरण नहीं करना पाया गया, उपभोक्ताओं को जानबूझकर राशन सामग्री का वितरण नहीं करने जैसी गंभीर अनियमितताओं के लिए राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 6 एवं इसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 9, 11, 14 एवं 18 का उल्लंघन किये जाने पर अपीलांट का उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया। इसके पश्चात अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज कर नोटिस व सुनवाई उपरांत प्राधिकार पत्र निरस्त कर प्रतिभूति राशि रूपये 1000/– जब्त सरकार किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.02.2018 पारित किया गया। अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नही किया गया है। अपीलार्थी को नोटिस जारी कर जवाब हेतु तलब किये जाने नोटिस दिनांक 05.01.2018 को जारी किया गया है जो अपीलार्थी से तामील होने को कोई प्रमाण पत्रावली मे मौजूद नही है, इसके पश्चात दिनांक 07.02.2018 अपीलार्थी की अनुपस्थिति मे अपीलाधीन एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि जिनके द्वारा शिकायत की गई है वे लोग अपीलार्थी से अतिरिक्त राशन की मांग करते हैं तथा राशन सामग्री लेने आते समय अपना राशन कार्ड साथ नही लाते है तथा केवल पोश मशीन से वितरण हेतु मांग करते है, इस पर पोश मशीन से वितरण कर दिया गया है। मौके पर प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई जांच मे राशन सामग्री के स्टॉक मे कोई कमी अथवा भिन्नता नहीं पाई गई इसके बावजूद भी शिकायत में अंकित तथ्यों का कोई आकलन एवं जांच नही किया गया जो अपूर्ण जांच एवं एकपक्षीय कार्यवाही सम्पन्न की जाना प्रतीत होती है। अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का अभिकथन है

न्यायालय जिला कलेक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

कि अपीलार्थी के द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान से उचित मूल्य सामग्री के वितरण मे ग्रामवासियों की ओर से कोई शिकायत नही थी तथा रेकर्ड का संधारण भी पूर्ण था इसके बावजूद भी अधिनस्थ अधिकारी द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक की निरीक्षण रिपोर्ट को ही आधार मानकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। ऐसे मे अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को निरस्त करने के अपीलाधीन आदेश से पूर्व उसे व्यक्तिगत रूप से सुनवाई का अवसर प्रदान कर परिस्थितियों की वास्तविकता की जांच कराये जाने एवं गुणावगुण पर प्रकरण का निस्तारण किया जाना चाहिए था। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा प्रकट तथ्यों के मद्देनजर प्रकरण मे अपीलार्थी को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान नही कर आदेश पारित करने मे शीघ्रता की गई है जिसके आधार पर अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा रसद प्रकरण सं. 03/2018 मे पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.02.2018 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण पुनः इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि आवश्यक जांच एवं अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः नये सिरे से निस्तारण करें।

8. आदेश आज दिनांक 30.07.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलेक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते